

**एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 अदद मोटरसाइकिल(चोरी की) व दो अदद लोहे की छोटी बड़ी नुकीलीदार तेज मोटरसाइकिलों के लॉक को तोड़ने का औजार बरामद—**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ, श्री इलामारन जी के द्वारा जनपद में अपराधी चोरी की घटना के अनावरण एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने विरुद्ध व्यापक अभियान चलाकर वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था उक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिश राजपूत के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के नेतृत्व में आज दिनांक 25.12.2025 को कोतवाली नगर पुलिस टीम उ0नि0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व उ0नि0 सरफराज खान, उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव, हे0का0 अफसर अली, का. शैलेश कुमार रोकथाम जुर्म जरायम, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वस्तु / वाहन, तलाश वांछित अभियुक्त एवं वारण्टी की गिरफ्तारी व देखभाल/ भ्रमण क्षेत्र करते हुए मुंशीपुरा पुल उतरान आजमगढ तिराहे की तरफ मामूर था, कि जरिये मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल चोरी करने वाला एक चोर धीरज कुमार राम पुत्र स्व0 अवध बिहारी राम निवासी इन्दौली थाना महाराजगंज जनपद सिवान बिहार उम्र करीब 45 वर्ष आज फिर अपराध करने की नियत से रेलवे स्टेशन के सामने रामलीला ग्राउण्ड के मोड़ की तरफ आर.सी.सी. रोड पर एक मोटरसाइकिल के साथ मौजूद है इस सूचना पर अभियुक्त को फर्द बरामदगी 04 मोटर साइकिल दो अदद लोहे की छोटी बड़ी नुकीलीदार तेज मोटरसाइकिलों के लॉक को तोड़ने का औजार के साथ समय 05.40 बजे नियमानुसार गिरफ्तारी पुलिस लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया जा रहा है।

#### ❖ बरामदगी का विवरण:-

1. 02 अदद लोहे की छोटी बड़ी नुकीलीदार लॉक तोड़ने का औजार
2. मो0सा0 UP 54AE 7718 HERO SPLENDOR PLUS रंग काला चेसिस नं0 MBLHAP07XJHK71023, Engine No. HA10AGJHKF6040
3. मो0सा0 UP50V0180 चेसिस नं0 MBLHA10EJAHE51578 HERO HONDA SPLENDOR PLUS BLACK

4. मो0सा0 UP60C9338 HERO HONDA PASSION रंग लाल चेसिस नं0 आधा  
अधूरा 02AL1C16907

5. मो0सा0 वाहन संख्या UP53AQ0906 चेसिस नं0 MBLHA10EWAGC14607  
Engine No. HA10EDAGC51614

❖ कुल कीमत लगभग ₹ 2,75,000/-

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अभियुक्त धीरज कुमार राम पुत्र स्व0 अवध बिहारी राम निवासी इन्दौली थाना  
महराजगंज जनपद सिवान बिहार उम्र करीब 45 वर्ष

❖ अपराध का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा नुकीलीदार तेज औजार से मोटर साइकिलों का लॉक तोड़कर चोरी कर  
लेना।

➤ आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 445/2025 धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस. थाना कोतवाली नगर  
जनपद मऊ

➤ गिरफ्तारी टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ ,
2. उ0नि0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली नगर जनपद
3. उ0नि0 सरफराज खान थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ,
4. उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. हे0का0 अफसर अली थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. का0 शैलेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

## 50,000 रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद में घटित गंभीर अपराधों में फरार चल रहे वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष अभियान टीम बनाकर निरंतर चलाया जा रहा था , इस अभियान के अंतर्गत जनपद पुलिस द्वारा प्रभावी रणनीति, सतत दबिश एवं तकनीकी-मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से अपराधियों व उनके परिवार व सहयोगियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उक्त अभियान अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में संचालित किया जा रहा था । इसी क्रम में मु0अ0सं0 133/25, धारा 3(5)/117(2)/352/115(2)/103(1) बी.एन.एस. एवं 3(2)(V) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना रामपुर, जनपद मऊ से संबंधित अत्यंत नृशंस एवं जघन्य हत्या की घटना में वांछित ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गौरव यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी सिउरी थाना भीमपूरा जनपद बलिया, जो घटना के उपरांत लगातार फरार चल रहा था , घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु विशेष पुलिस टीमें गठित की गईं। अभियुक्त के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई, उसके आवागमन, संपर्क सूत्रों तथा परिजनों पर सतत निगरानी रखी गई। तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किये जा रहे थे। पुलिस की इस निरंतर एवं सघन कार्यवाही के कारण अभियुक्त के लिए छिपे रहना संभव नहीं रह गया। पुलिस के बढ़ते दबाव, गिरफ्तारी की प्रबल संभावना तथा कानून से बचने का कोई विकल्प न देख अभियुक्त गौरव यादव उपरोक्त दिनांक 24.12.2025 को कहीं भागने व मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की फिराक में था कि मुखबिर की सूचना पर नरही बांध के पास से अभियुक्त गौरव यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी सिउरी थाना भीमपूरा जनपद बलिया को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर गिरफ्तार किया गया । उक्त गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के कब्जे से पूछताछ किये जाने के आधार पर प्राप्त जानकारी के क्रम में ग्राम मयारी गांव से अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद पिस्टल मय मैगजीन व 01 अदद कारतूस बरामद हुआ, जिसके आधार पर थाना रामपुर पर मु0अ0सं0 142/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ है। जिसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है। साथ ही मु0अ0सं0 133/25 धारा धारा 3(5)/117(2)/352/115(2)/103(1) बी.एन.एस. एवं 3(2)(V) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना रामपुर, जनपद मऊ से संबंधित लधुवाई मोड़ से एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

### अभियुक्त का विवरण-

1. गौरव यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी सिउरी थाना भीमपूरा जनपद बलिया (पुरस्कार घोषित)
2. एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

स्थान – नरही बांध के पास

दिनांक 24.12.2025

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त गौरव यादव उपरोक्त -

1. मु.अ.सं. 133/25 धारा 3(5)/117(2)/352/115(2)/103(1) बी.एन.एस. एवं 3(2)(V)(A) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना रामपुर, जनपद मऊ
2. मु.अ.सं. 142/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर जनपद मऊ
3. मु.अ.सं. 248/21 धारा 399/402 भादवि थाना नगरा जनपद बलिया
4. मु.अ.सं. 251/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगरा जनपद बलिया
5. मु.अ.सं. 367/25 धारा 3(5)/305(a)/324/(3)/62 बी.एन.एस. थाना घोसी जनपद मऊ
6. मु.अ.सं. 408/25 धारा 305/317(2)/331(4) बी.एन.एस. थाना घोसी जनपद मऊ
7. मु.अ.सं. 444/25 धारा 305/317(2) बी.एन.एस. थाना घोसी जनपद मऊ
8. मु.अ.सं. 486/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 310(4)/310(5) बी.एन.एस. थाना घोसी जनपद मऊ

### गिरफ्तारी टीम का विवरण -

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ ।
2. निरीक्षक मनोज कुमार सिंह प्रभारी एसओजी टीम मय टीम ।
3. उ0नि0 अशोक तिवारी, थाना रामपुर, जनपद मऊ टीम मय टीम ।

### कुल 20 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 24/25.12.2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा 12 नफर वारण्टी अभियुक्तगण सुरेन्द्र राजभर पुत्र सहबल्ली निवासी लीलारी भरौली थाना कोपागंज, संतोष

कुमार यादव पुत्र कामता यादव निवासी भदसा थाना कोपागंज, सुरेश गोड़ पुत्र जित्तू गोड़ सा0 शाहपुर थाना कोपागंज, सुग्रीव पुत्र बिरजू सा0 अवधपुर इन्दारा थाना कोपागंज, लल्लन पुत्र बिरजू सा0 अवधपुर इन्दारा थाना कोपागंज, धनपाल पुत्र विरजू सा0 अवधपुर इन्दारा थाना कोपागंज, दिनेश पुत्र कपिलदेव सा0 इन्दारा अहिरपुरा थाना कोपागंज, बृजेश कुमार पुत्र कपिलदेव सा0 इन्दारा अहिरपुरा थाना कोपागंज, रविन्द्र पुत्र विरजू सा0 अवधपुर इन्दारा थाना कोपागंज, पानमती पत्नी राजेन्द्र सा0 अवधपुर इन्दारा थाना कोपागंज, बिन्दू पत्नी रविन्द्र सा0 अवधपुर इन्दारा थाना कोपागंज, मीरा देवी पत्नी दिनेश सा0 इन्दारा अहिरपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण प्रहलाद उर्फ बजडू राम पुत्र दुबरी, लोचन पुत्र दलश्रृंगार राजभर निवासीगण नवलपुर रतौही थाना हलधरपुर जनपद मऊ, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त राजन गुप्ता पुत्र कामता गुप्ता निवासी इदारतगंज थाना मुहम्मदाबाद, थाना घोसी पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त गणेश पुत्र विश्वनाथ निवासी मिश्रौली थाना घोसी व थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा 04 नफर वारण्टी अभियुक्तगण श्रीवेश पुत्र भुशीराम निवासी कहिनौर, संदीप, अनिल पुत्रगण विरजू, विभा पत्नी विरजू निवासी सिकटिया सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

### **थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के द्वारा अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से अपराधियों एवं चोरो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिश राजपूत के कुशल निर्देशन में तथा थानाध्यक्ष बसंतलाल थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.12.2025 को उ0नि0 अरूण कुमार सिंह व उ0नि0 हरिकेश यादव मय हमराह आवश्यक पुलिस बल के मुखबीर खास की सूचना के आधार पर अछार मोड़ थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ से अभियोग में वांछित 01 नफर अभियुक्त 1. बजरंगी बासफोर पुत्र स्व0 शंकर बासफोर निवासी प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र करीब 30 वर्ष को समय करीब 12.50 बजे गिरफ्तार किया। उक्त अभियुक्त के सम्बन्ध में थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

1. बजरंगी बासफोर पुत्र स्व० शंकर बासफोर निवासी प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र करीब 30 वर्ष

➤ **पंजीकृत अभियोग**

मु.अ.सं. 257/2025 धारा 3(5)/115(2)/118(2)/333/352 बी०एन०एस० थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

➤ **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

1. उ०नि० अरूण कुमार सिंह, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
2. उ०नि० हरिकेश यादव, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
3. हे०का० विनोद यादव , थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
4. का० मुलायम यादव, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

## **स्टेडियम से लौट रहे युवक को गायघाट पर चाकू मारने वाला अभियुक्त गिरफ्तार चाकू बरामद—**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ, श्री इलामारन जी के द्वारा जनपद में वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने विरुद्ध व्यापक अभियान चलाकर वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था उक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के कुशल निर्देशन व नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ व कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.12.2025 को स्टेडियम से लौट रहे युवक को गायघाट पुल के निचे हुई चाकू मारने की घटना में पंजीकृत अभियोग मु०अ०सं० 444/25 धारा 109 BNS में थाना हाजा पर तलबशुदा नामजद अभियुक्त शिवांश यादव पुत्र रामाशीष यादव नि० नई बस्ती भीटी हरिद्वार कालोनी थाना कोतवाली नगर मऊ उम्र- करीब-19 वर्ष को विश्वास में लेकर घटना में प्रयुक्त चाकू के बारे में पूछा गया तो अभि० द्वारा घटना के बाद चाकू को गाय घाट पुल के पास सड़क किनारे एक बंद गुमटी के पीछे छिपाकर रखना बताया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को मौके से हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त शिवांश यादव पुत्र रामाशीष यादव उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया जा रहा है।

➤ **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

शिवांश यादव पुत्र रामाशीष यादव नि० नई बस्ती भीटी हरिद्वार कालोनी थाना- कोतवाली नगर मऊ उम्र 19 वर्ष

➤ बरामदगी :s- 01 अदद चाकू

➤ आपराधिक इतिहास:-

3. मु०अ०सं० 444/2025 धारा 109 BNS व 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली नगर मऊ

➤ गिरफ्तारी टीम:-

7. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
8. उ०नि० राजेश कुमार चौकी प्रभारी भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
9. का० सतेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
10. का० राम विलास थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

**हत्या के प्रयास मामले से संबंधित वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार-**

आज दिनांक 25.12.2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिश राजपूत के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सरवां गेट के पास से मु०अ०सं० 527/25 धारा 109(1), 352, 351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त अलाउद्दीन पुत्र सिकन्दर निवासी बहरीगांव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. अलाउद्दीन पुत्र सिकन्दर निवासी बहरीगांव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।